प्रतिलिपि आदेश दिनांक 03–9–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 2966–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–10 पारित द्वारा कलेक्टर, कटनी प्रकरण कमांक 104/बी–121/09–10.

.....

मणिन्द्र कुमार सिंह पिता श्री अयोध्या सिंह
तत्कालीन तहसीलदार ढीमरखेड़ा, वृत्त स्लीमनाबाद
जिला कटनी ——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदक

03–9–15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2010 में आवेदक के विरूद्ध की गई टिप्पणियों के आधार पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा पक्षकार नजीर वल्द सिकन्दर बख्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्र0क0 33/अ–6–अ/2006–07 पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही कर आदेश दिनांक 8–8–07 पारित किया था जिसमें पक्षकार को स्पष्ट रूप से भूमि को विकय से निषेधित किया था । आवेदक द्वारा पारित आदेश के पश्चात तत्कालीन कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 58/अ–21/2008–09 में पारित आदेश द्वारा नजीर वल्द सिकन्दर बख्स को विकय की अनुमति दी गई । उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया था वह सद्भावना पूर्वक था यदि उसमें कोई त्रुटि सक्षम अधिकारी द्वारा पाई थी तो उसे निरस्त किए जाने का उन्हें अधिकार है किंतु उस आधार पर आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा उन्हें स्पष्टीकरण अथवा पक्ष समर्थन हेतु अवसर दिया बिना एकपक्षीय रूप से प्रतिकूल टिप्पणी की गई है जो नैसर्गिक न्याय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विपरीत होकर अपास्त किये जाने योग्य है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 2005(2) जेएलजे 258 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 1159/2015 वीरेन्द्र कुमार सिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन में पारित आदेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 22–1–15 का हवाला देते हुए कलेक्टर द्वारा आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने संबंधी निर्देशों को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा उद्धरित न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को देखा गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश एकपक्षीय रूप से दिया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । प्रकरण में आवेदक ने जो आधार दिए हैं वे समाधान कारक है । अतः कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30–11–2010 का वह अंश (पृष्ठ–16 पैरा–5) जिसके द्वारा आवेदक मणिन्द्रसिंह, तत्कालीन तहसीलदार वृत्त स्लीमनाबाद जिला कटनी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु प्रस्ताव कमिश्नर, जबलपुर को भेजने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, उन्हें कलेक्टर, कटनी के आलोच्य आदेश से विलोपित किया जाता है । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	